



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022024-252454
CG-DL-E-28022024-252454

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 892]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 28, 2024/फाल्गुन 9, 1945

No. 892]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 28, 2024/PHALGUNA 9, 1945

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2024

का.आ. 935(अ).—गुलाम नबी सुमजी की अध्यक्षता में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) (जिसे इसमें इसके पश्चात एमसीजेके-एस कहा गया है) अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक प्रोपगेंडा के लिए जाना जाता है;

और, एमसीजेके-एस के सदस्य जम्मू और कश्मीर में आतंकी क्रियाकलापों को समर्थन देने और आतंकवादियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने में लिप्त रहे हैं।

और, एमसीजेके-एस के नेता और सदस्य, आतंकवादी क्रियाकलापों का समर्थन करने, जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों पर लगातार पथराव करने सहित विधिविरुद्ध क्रियाकलापों को करने के लिए पाकिस्तान और उसके परोक्षी संगठनों सहित विभिन्न स्रोतों के माध्यम से निधियां जुटाने में सम्मिलित थे;

और, एमसीजेके-एस ने कश्मीर के लोगों को निर्वाचनों में भाग लेने से विरत रहने के लिए लगातार कहा है और इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत संवैधानिक मान्यता प्राप्त मूल को निशाना बनाया है और बाधित किया है;

और, एमसीजेके-एस और उसके सदस्य अपने क्रियाकलापों से देश के संवैधानिक प्राधिकार और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति पूर्णतया अनादर दर्शित करते हैं;

और, एमसीजेके-एस और उसके सदस्य देश की अखंडता, प्रभुसत्ता और सुरक्षा के पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त रहे हैं;

और, एमसीजेके-एस राष्ट्र-विरोधी और विध्वंसक क्रियाकलापों में सम्मिलित होते हुए; लोगों में वैमनस्य के बीज बोते हुए; लोगों को विधि-व्यवस्था भंग करने के लिए उकसाते हुए; जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए सशस्त्र संघर्ष के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हुए; और जम्मू और कश्मीर में कई अवसरों पर निर्वाचनों का बहिष्कार करने का आह्वान करके स्थापित सरकार के विरुद्ध नफरत फैलाते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग करने को बढ़ावा देने, उसमें सहायता करने और दुष्प्रेरित करने में सम्मिलित है;

और, केंद्रीय सरकार कि यह राय है कि यदि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल कोई प्रतिबन्ध या नियंत्रण नहीं किया गया, तो वह इस अवसर का निम्नलिखित के लिए प्रयोग करेगा -

- (i) देश की भौतिक अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकारक राष्ट्र-विरोधी क्रियाकलापों को जारी रखना;
- (ii) भारत संघ में जम्मू और कश्मीर के विलय पर विवाद खड़ा करते हुए जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने का समर्थन जारी रखना; और
- (iii) भारत के विरुद्ध असंतोष उत्पन्न करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के आशय से जम्मू-कश्मीर के लोगों के बीच मिथ्या वृत्तांत और राष्ट्र-विरोधी भावनाओं का प्रचार करना जारी रखना;

और, उपर्युक्त कारणों से केंद्रीय सरकार कि यह राय है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) (एमसीजेके-एस) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगठन' घोषित करना आवश्यक है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) (एमसीजेके-एस) को एक विधिविरुद्ध संगठन घोषित करती है।

केंद्रीय सरकार की उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, का यह दृढ़ अभिमत है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू और कश्मीर (सुमजी गुट) (एमसीजेके-एस) को तत्काल प्रभाव से एक 'विधिविरुद्ध संगठन' के रूप में घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि यह अधिसूचना, किसी आदेश के अधीन जो उक्त अधिनियम की धारा-4 के अधीन किया जाये, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगी।

[फा. सं. 14017/07/2024-एनआई-एमएफओ]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th February, 2024

S.O. 935(E).— Whereas, the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Sumji faction), (hereinafter referred to as the MCJK-S), chaired by Ghulam Nabi Sumji is known for its anti-India and pro-Pakistan propaganda;

And, whereas, members of the MCJK-S have remained involved in supporting terrorist activities and providing logistic support to terrorists in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of MCJK-S have been involved in raising funds through various sources including Pakistan and its proxy organisations for perpetrating unlawful activities, including supporting terrorist activities, sustained stone-pelting on Security Forces in Jammu and Kashmir;

And, whereas, MCJK-S has constantly asked to the people of Kashmir to refrain from taking part in elections and thereby targeted and hampered the very basic constitutionally recognized fundamentals of Indian democracy;

And, whereas, the MCJK-S and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And, whereas, the MCJK-S and its members, have been indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty, and security of the country;

And whereas, MCJK-S is involved in promoting, aiding and abetting secession of Jammu and Kashmir from India by involving in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise law and order; encouraging the use of arms to separate Jammu and Kashmir from the Union of India; and promoting hatred against established Government by giving clarion call to boycott elections on multiple occasions in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Sumji faction), it will use this opportunity to –

- (i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;
- (ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India; and
- (iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order;

And, whereas, the Central Government for the above-mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Sumji faction), it is necessary to declare the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Sumji faction) (MCJK-S) as an 'unlawful association' with immediate effect;

Now, Therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Sumji faction) (MCJK-S) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Muslim Conference Jammu and Kashmir (Sumji faction) (MCJK-S) as an 'unlawful association' with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/07/2024-NI-MFO]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.